रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2001/कार्तिक 3, 1923
No. 777] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2001/KARTIKA 3, 1923

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2001

का.आ. 1059(अ).—निम्नलिखित उप नियम कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर बोर्ड द्वारा बनाये गए कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) उप नियम, 1968 में और आगे संशोधन करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि करके एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं :—

1. (1) ये उप नियम कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) उपनियम 2001 कहलाये जा सकते हैं।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) उपनियम, 1968 में उपनियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएंगे नामत:

"22-ए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार के संबंध में निषेध; कोई भी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखेगा।"

[फा. सं. 6(3)/2001-कयर]
शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:— कयर बोर्ड के गठन के लिये अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर, 1998 को का.आ. 784 (ई)द्वारा तथा बाद के संशोधन दिनांक 28 जनवरी, 1999 की सं. (1) का.आ. 38 (ई), (2) का.आ. 166 (ई) दिनांक 11 मार्च, 1999, (3) का.आ. 410 (ई) दिनांक 26 अप्रैल, 2000 तथा (4) का.आ. 70 (ई) दिनांक 19 जनवरी, 2001 द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2001

S.O. 1059(E).—The following Bye-laws further to amend the Coir Board Employees (Conduct) Bye-laws, 1968, made by the Coir Board, in exercise of powers conferred by Section 27(2) of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and confirmed by the Central Government are hereby published.

1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board Employees (Conduct) (Amendment) Bye-laws, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Board Employees (Conduct) Bye-laws, 1968 after bye-law 22, the following bye-law shall be inserted, namely :—

"22-A Prohibition regarding employment of Children below 14 years of age : No employee shall employ any child below the age of 14 years."

[F. No. 6(3)/2001-Coir]

SHANKAR AGGARWAL, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—The notification for constitution of the Coir Board was issued vide number S.O. 784 (E) dated the 7th September, 1998 and subsequently amended vide numbers (1) S.O. 38(E) dated the 28th January, 1999, (2) S.O. 166(E) dated the 11th March, 1999, (3) S.O. 410 (E) dated the 26th April, 2000 and (4) S.O. 70 (E) dated the 19th January, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054